उत्तर मध्य रेल

पत्रांक– मेड/आ0छा0/कोविड हॉस्पी./20
दिनांक– 03.07.2020

कार्यालय
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
उ0म0रे0, आगरा

<u>अभिरूचि की अभिव्यक्ति</u>

राज्य/जिला प्रशासन से मान्यता प्राप्त निजी कोविड–19 अस्पताल का उ0म0रे0, आगरा मंडल के कोविड पॉजिटिव रेलवे लाभार्थियों के लिए चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने हेतु।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ उत्तर मध्य रेलवे /आगरा द्वारा राज्य / जिला प्रशासन से मान्यता प्राप्त निजी कोविड –19 अस्पताल से आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं, जो गैर–एनएबीएच, सीजीएचएस 2014 मेरठ दरों पर काम करने को तैयार हैं।

निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य हैं –

1. कोविड–19 के उपचार के लिए निजी अस्पताल राज्य सरकार / जिला प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए ।
2. मरीजों को अधिकृत रेलवे चिकित्सा अधिकारी द्वारा रेफर्ड किया जायेगा तथा रेलवे कर्मचारियों, उनके आश्रितों और सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों से कोई भी भुगतान नहीं लिया जायेगा।
3. पीपीई किट और परीक्षण किट का मूल्य राज्य /M.O.H.F.W./ CGHS दिशा निर्देशों में निर्धारित दरों के अनुसार होंगे।
4. भुगतान की विधि CGHS (Non NABL) 2014 मेरठ दरों की सूची के आधार पर बिल प्रणाली पर की जाएगी।
5. सभी विवादों या मतभेदों को महाप्रबंधक/ उ0म0रे0/प्रयागराज द्वारा प्रतिनियुक्त मध्यस्थ द्वारा हल किया जाएगा, 1996 का मध्यस्थता अधिनियम (26) इसके लिए लागू होगा, यदि मध्यस्थ के निर्णय से असहमत हैं, महाप्रबंधक/ उ0म0रे0/प्रयागराज को अपील की जा सकती है और उनके फैसले को दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किया जाएगा, इस मामले पर आगे असहमति पर आगरा जिला अदालत में ले जाया जा सकता है।
6. कोविद –19 अस्पताल के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि वाले सभी दस्तावेज मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/उत्तर मध्य रेलवे, आगरा कैंट (उत्तर प्रदेश) 282001 के कार्यालय में विज्ञापन के दिनांक से 15 दिनों के भीतर सभी कार्य दिवसों पर सुबह 10:00 बजे से 5:00 बजे तक जमा किए जाने चाहिए।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
उ0म0रे0, आगरा